

राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् हरियाणा, गुरुग्राम
(SCERT HARYANA, GURUGRAM)
Ph.No. 0124-4066243

राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना (NMMSS) परीक्षा 2023-24

(कक्षा आठवी में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए)

विवरण-पुस्तिका (Prospectus)

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

01 सितम्बर, 2023 से प्रारंभ

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि

10 अक्टूबर 2023

योजना

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा 19 नवम्बर, 2023 को राज्य के विभिन्न केन्द्रों पर उपरोक्त परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।

चयन प्रणाली

राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना (NMMSS) परीक्षा के लिए एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा जिस के दो भाग होंगे:

भाग 1: मानसिक योग्यता परीक्षण (Mental Ability Test)

इस भाग में विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता (तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण आदि) को जांचने के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जायेंगे। कुल 90 प्रश्न होंगे जो कि प्रत्येक एक-एक अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे।

भाग 2: बौद्धिक योग्यता परीक्षण (Scholastic Ability Test)

इस भाग में निम्न विषयों से 90 प्रश्न पूछे जायेंगे:

विज्ञान	35 प्रश्न
गणित	20 प्रश्न
सामाजिक विज्ञान	35 प्रश्न

प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे।

दोनों भागों के प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प (संभावित 1,2,3,4) होंगे। विद्यार्थियों को इन विकल्पों में से ठीक उत्तर चुन कर OMR शीट पर (•) मार्क करना होगा, जोकि उन्हें प्रश्न-पत्र के साथ दी जाएगी।

परीक्षा संबंधी विवरण

परीक्षा	समय	अधिकतम अंक	अर्हता अंक
मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)	90 मिनट	90	36
बौद्धिक योग्यता परीक्षण (SAT)	90 मिनट	90	36

नोट: अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अर्हता अंक 29 है।

पाठ्यक्रम:

इस परीक्षा के लिए कोई सीमित पाठ्यक्रम नहीं है, यद्यपि प्रश्नों का स्तर आठवीं कक्षा के लिए होने वाले हरियाणा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम के स्तर के अनुरूप होगा।

परिणाम:

परिणाम के लिए OMR शीट का मूल्यांकन किया जायेगा। गलत उत्तरों की कोई Negative Marking नहीं है।

आरक्षण:

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संशोधित निर्देशानुसार आरक्षण हरियाणा राज्य सरकार के मानदंडों के अनुसार देय है, जिसे आगे जिला स्तर पर बांटा जायेगा। जिला स्तर पर चयनित विद्यार्थियों को जिले के कोटे के अनुसार छात्रवृत्ति जिला स्तर पर दी जाएगी। आरक्षण निम्न प्रकार होगा-

SC of Haryana	20%
BC-A of Haryana	16%
BC-B of Haryana	11%
Persons with Disabilities	03%

Remaining seats are available for **General/Unreserved.**

ध्यान दें:

- आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण-पत्र हरियाणा राज्य के सक्षम अधिकारी से बनवा कर आवेदन करते समय अपलोड करें।
- जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने की स्थिति में परीक्षार्थी को सामान्य वर्ग में ही लिया जायेगा व बाद में आरक्षित श्रेणी में शामिल नहीं किया जायेगा।

पुनर्मूल्यांकन:

परीक्षा के परिणाम के बाद पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है।

माध्यम:

परीक्षा का माध्यम हिंदी तथा अंग्रेजी होगा।

पात्रता:

इस परीक्षा का आवेदन करते समय परीक्षार्थी/ विद्यालय प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि:

- छात्र हरियाणा राज्य के केवल सरकारी/ अनुदान प्राप्त विद्यालयों में पढ़ रहे हों।
- छात्रों ने सातवीं कक्षा केवल सरकारी/ अनुदान प्राप्त विद्यालयों से पास की हो।
- परीक्षार्थी के माता-पिता की सभी स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹ 3,50,000 से कम होनी चाहिये।

नोट

- विद्यार्थी इस परीक्षा में केवल एक बार बैठ सकता/ सकती है।
- विद्यार्थी के आवेदन विवरण में असत्यता पाए जाने पर उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
- इस परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- आठवीं कक्षा का अनुत्तीर्ण विद्यार्थी इस परीक्षा में नहीं बैठ सकता/ सकती।

- केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, KGBV तथा निजी (Private) विद्यालयों में पढने वाले छात्र इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते।

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2023 है।

अंतिम तिथि किसी भी स्थिति में नहीं बढ़ाई जाएगी।

प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाइन ही भरा जायेगा जिसका लिंक परिषद् की वेबसाइट www.scertharyana.gov.in तथा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध होगा। प्रवेश-पत्र/ रोल नंबर परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले परिषद् एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट से निकाले जा सकते हैं।

परिणाम संबंधी सूचना:

NMMSS परीक्षा का परिणाम सभी विद्यालयों में जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के माध्यम से भेजा जायेगा साथ ही SCERT Haryana की वेबसाइट www.scertharyana.gov.in पर उपलब्ध रहेगा।

परीक्षा की तिथि

समय

19-11-2023

प्रातः 11:00 बजे से बाद दोपहर 02:00 बजे तक

विशेष ध्यान देने योग्य बातें:

1. केवल मेरिट- सूची में नाम आने से विद्यार्थी को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होगी। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए चयनित विद्यार्थी को scholarships.gov.in (NSP पोर्टल) पर आवेदन करना होगा। यह पोर्टल जुलाई/अगस्त 2024 में खुल जाएगा। इस पोर्टल पर आवेदन करने की जिम्मेवारी स्वयं छात्र की होगी।
2. यदि विद्यार्थी NMMSS परीक्षा की मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो उसे छात्रवृत्ति तभी दी जाएगी जब वह अपने माता पिता की कुल आय का प्रमाण-पत्र SDM/ तहसीलदार से सत्यापित करा कर अपने जिले के जिला समन्वयक कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी को दे देगा।
3. अनुसूचित जाति/ जनजाति के छात्र अपनी जाति का प्रमाण-पत्र प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा बनवा कर उसकी सत्यापित प्रति आवेदन के साथ स्कैन करके upload करें अन्यथा छात्र को सामान्य श्रेणी में ही रखा जायेगा।
4. दिव्यांग परीक्षार्थी अपना अशक्तता प्रमाण-पत्र (प्रतिशत सहित) अपने जिले के CMO से बनवा कर आवेदन के साथ स्कैन करके upload करें अन्यथा छात्र को सामान्य श्रेणी में ही रखा जायेगा।
5. चयनित छात्र द्वारा पोर्टल पर upload किये गये डाटा को सत्यापित करने की जिम्मेवारी पहले विद्यालय के मुखिया व उस के बाद जिले के जिला शिक्षा अधिकारी की होगी।
6. यदि चयनित छात्रों के द्वारा समय पर NSP पर upload व submit नहीं किया जाता है एवं परिणामस्वरूप उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो इस बारे में कोई भी RTI अथवा अन्य विभागीय कार्यवाही की जाती है तो इसके लिए संबंधित विद्यालय के मुखिया व जिला शिक्षा अधिकारी ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें

(1) परीक्षा शाखा- SCERT हरियाणा, गुरुग्राम फोन नं० 0124-2314909

(2) प्रत्येक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी/ जिला गणित विशेषज्ञ

State Nodal Officer (NMMSS)